(Consequential order) जो आवश्यक हों, दे सकेंगे।

धारा 128. सरकारी भूमियों का प्रबन्ध— पंचायतों को अन्तरित की गई किसी सरकारी भूमि का प्रबंध ऐसी पंचायत द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए।

टिप्पणी (धारा 128)

(1) सरकारी भूमि जो पंचायतों को ट्रान्सफर (अन्तरित) की गई हो उसमें पंचायत का हित निहित हो जाता है वे भूमि पंचायत में निहित (Vested) हो जाती हैं अतएव वे पंचायत भूमियां कहलाएंगी और जब तक वे निर्निहित (Divested) नहीं होती हैं उनके बारे में सारे प्रबन्ध पंचायत की अधिकारिता एवं दायित्व के अधीन रहते हैं उनके अधिक्रमण को हटाने का दायित्व भी पंचायत का रहेगा।

(2) जैसे नगरपालिका में निहित (Vested) भूमि है उसका पूरा अधिकार नगरपालिका को रहता है नजूल अधिकारी उस पर अधिक्रमण में सिवाय नगरपालिका के हस्तक्षेप नहीं कर सकता- सिन्ध महाजन एक्सचेंज लि. वि. स्टेट, 1980 रा. नि. 460 हाईकोर्ट डीबी म्यु. इन्दौर वि. स्टेट, 1972 ज.लाज. 614 = 1972 मप्र.लाज. 598 (म्यु. कौंसिल मंदसौर वि. स्टेट, 1972 ज.लाज. 966 = 1972 मप्र.लाज. 911)- यही रूलिंग पंचायतों के अधिकार की भूमि पर लागू होते हैं।

अध्याय 14

संपरीक्षा (Audit)

धारा 129. पंचायतों की संपरीक्षा — (1) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक् तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा।

(2) संपरीक्षा संगठन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे।

(3) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

अध्याय- 14-क

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध

धारा 129-क. परिभाषाएं- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर उसके ऐसे भाग में, जिसके लिये उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हैं।

(ख) "ग्राम" से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के